

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935

No. 430]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 574(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जे) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(बी) ये विनियम, 27 मई 2011 से लागू होंगे।@

2. विनियम 5 में संशोधन

3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) के विनियम 5 में, खंड (बी) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वह 27 मई, 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है।

“(बी) (i) भारत से बाहर संयुक्त उद्यम (जेवी) अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) का प्रवर्तन अथवा स्थापना करने वाली कोई भारतीय पार्टी अपने कारोबार के संबंध में उसे अथवा उसकी ओर से गारंटी दे सकती है :

बशर्ते ऐसी कंपनी अथवा सहायक कंपनी का प्रवर्तन अथवा स्थापना करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाना जारी रहता है।

बशर्ते इसके अतिरिक्त इस खंड के तहत गारंटी भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भी दी जा सकती है;

(ii) भारत से बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का प्रवर्तन अथवा स्थापना करने वाली कोई भारतीय पार्टी अपने कारोबार के संबंध में पहले स्तर की स्टेप डाउन कार्यरत कंपनी को अथवा उसकी ओर से गारंटी दे सकती है :

बशर्ते ऐसी कंपनी अथवा सहायक कंपनी का प्रवर्तन अथवा स्थापना करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाना जारी रहता है।

स्पष्टीकरण: “भारतीय पार्टी” का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004 में अभिप्रेत है।”

[सं. फेमा.276/2013-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) @प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 5 मई, 2000 की जी.एस.आर.सं.391(ई) के जरिये प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

(i) 19.08.2002 के जी.एस.आर. सं.575 (ई),

(ii) 16.11.2004 के जी.एस.आर. सं.745 (ई),

(iii) 9.2.2005 के जी.एस.आर. सं.61 (ई),

(iv) 14.3.2007 के जी.एस.आर. सं.196 (ई),

(v) 01.05.2009 के जी.एस.आर. सं.300 (ई),

(vi) 01.05.2009 के जी.एस.आर. सं.298 (ई),

(vii) 27.07.2010 के जी.एस.आर. सं.634 (ई),

(viii) -----के जी.एस.आर.सं.-----,

(ix) -----के जी.एस.आर.सं.----- तथा

(x) -----के जी.एस.आर.सं.-----।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2013

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Fourth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

1. Short title and commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Fourth Amendment) Regulations, 2013.

(b) They shall come into force from the May 27, 2011.@

2. Amendment of Regulation 5

In Regulation 5 of the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB) dated May 3, 2000, for clause (b) the following shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from May 27, 2011.

"(b) (i) An Indian Party promoting or setting up outside India, a Joint Venture (JV) or a Wholly Owned Subsidiary (WOS), may give a guarantee to or on behalf of the latter in connection with its business:

Provided that the terms and conditions stipulated in Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004 for promoting or setting up such company or subsidiary are continued to be complied with :

Provided further that the guarantee under this clause may also be given by an authorized dealer in India;

(ii) An Indian Party promoting or setting up outside India, a Joint Venture (JV) or a Wholly Owned Subsidiary (WOS), may give a guarantee to or on behalf of the first generation step down operating company in connection with its business:

Provided that the terms and conditions stipulated in Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004 for promoting or setting up such company or subsidiary are continued to be complied with.

Explanation: 'Indian Party' shall have the same meaning as assigned to it in Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004."

[No. FEMA/ 276/2013-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note:

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:

- (a) G.S.R. No. 575 (E) dated 19-8-2002
- (b) G.S.R. No. 745 (E) dated 16-11-2004
- (c) G.S.R. No. 61 (E) dated 9-2-2005
- (d) G.S.R. No. 196 (E) dated 14-3-2007
- (e) G.S.R. No. 300 (E) dated 01-05-2009
- (f) G.S.R. No. 298 (E) dated 01-05-2009
- (g) G.S.R. No. 634 (E) dated 27-07-2010
- (h) G.S.R. No.____(E) dated _____
- (i) G.S.R. No.____(E) dated _____
- (j) G.S.R. No.____(E) dated _____